

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.11.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.11.2023 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	डॉ० बबीता माझी	सदस्य
11.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
12.	डॉ० एस. श्वेता	सदस्य
13.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में ऑनलाईन उपस्थित हुए :-

1.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
2.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
4.	प्रो० व्ही.एस. राठौड़	विशेष आमंत्रित सदस्य

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा
----	---------------------------


बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे का सहयोग करने तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिल-जुल कर आपसी सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 167वीं बैठक दिनांक 03.11.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 167वीं बैठक दिनांक 03.11.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 167वीं बैठक दिनांक 03.11.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 167वीं बैठक दिनांक 03.11.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।


14/11/23


14/11/2023

विषय क्र. 03. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और छत्तीसगढ़. कौंसिल ऑफ साईस एण्ड टेक्नॉलाजी (CCoST) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और छत्तीसगढ़. कौंसिल ऑफ साईस एण्ड टेक्नॉलाजी (CCoST) के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 04. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Bishkek के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Bishkek के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 05. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शोधार्थियों/परियोजना स्टाफ (Project Fellow) को @ggu.ac.in में ईमेल-आईडी प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शोधार्थियों/परियोजना स्टाफ (Project Fellow) को @ggu.ac.in में ईमेल-आईडी प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पूर्णतः अस्थायी शिक्षकों एवं समस्त संकायों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के इच्छुक विद्यार्थियों से भी आवश्यक शुल्क जमा कराकर ई-मेल आईडी प्रदान कर दिया जाय।


विषय क्र. 06. वित्तीय वर्ष 2023-24 और संशोधित बजट अनुमान 2023-24 के दौरान फंड की उपलब्धता के अधीन योजना 31 व आंतरिक आय मद तथा 35 मद के तहत यूजीसी से प्राप्त स्वीकृत बजट के मदवार वितरण का प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और संशोधित बजट अनुमान 2023-24 के दौरान फंड की उपलब्धता के अधीन योजना 31 व आंतरिक आय मद तथा 35 मद के तहत यूजीसी से प्राप्त स्वीकृत बजट के मदवार वितरण संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से B.Tech (Working Professionals) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से B.Tech (Working Professionals) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जाय।


14/11/23


14/11/2023

विषय क्र. 08. To consider the draft Admission Notice for VRET 2023-24.

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VRET प्रवेश परीक्षा आयोजन हेतु प्रवेश सूचना जारी किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं प्रस्तावित समयवधि में परीक्षा आयोजन करा लिया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि शोधार्थी द्वारा शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु जमा करने के पश्चात् अकादमी विभाग द्वारा तत्संबंधी प्रमाण जारी करने पर, उक्त सीट को प्रावधिक रूप से रिक्त समझा जाये। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार


अ.अ.वि.क्र.1 बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर के कार्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम (VAC) ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठातागणों द्वारा उपलब्ध कराये गये वैल्यू एडेड पाठ्यक्रमों को स्थायी समिति अनुमोदित करती है तथा ऐसे सभी पाठ्यक्रमों की सूची एवं पाठ्यचर्या सभी शैक्षणिक विभागों को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि संबंधित विभाग वैल्यू एडेड पाठ्यक्रमों को अपने अध्ययन मण्डल से अनुमोदित करा सकें।

अ.अ.वि.क्र.2 स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को एक सामान्य मंच प्रदान करने हेतु विषय प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं सामान्य मंच उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जाय। इस हेतु समन्वय समिति का गठन किया जाय। समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त मंच का नाम "जीजीव्ही नटराज कला मंच" (जीजीव्ही-एन.के.एम.) रखा जाय। साथ ही साथ उक्त कला मंच के लिए लोगो भी प्रारूपित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.3 स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बीज धन अनुदान प्रदान किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश प्रारूपित कर विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत दिशा-निर्देश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष